पत्र संख्या सी0/ए0एस0 50 16/2017....................../जे0

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

प्रेषक,

ब्रजेश कुमार मालवीय,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,

बिहार, पटना ।

पटना दिनांक................

विषय: **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने एवं प्रत्येक विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 825/आ0नि0को0, दिनांक 22.07.2019 के आलोक में सूचित करना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित वादों के संचालनार्थ सिवान एवं जहानाबाद जिले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त की जा चुकी है, शेष जिलों, जहा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, के लिए नियमित नियुक्ति होने तक संबंधित वादों के संचालन हेतु संबंधित जिले के लोक अभियोजक को प्राधिकृत किया गया है। उक्त की सूचना पूर्व में विधि विभागीय पत्रांक 5348, दिनांक 08.08.2019 के द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन अपराधो के विचारण हेतु राज्य के प्रत्येक सत्र खंड के कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित की गयी है।

सुलभ प्रसंग हेतु विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 7369, दिनांक 14.10.2019 एवं पत्रांक 5348, दिनांक 08.08.2019 की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

अनु0: यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/ ब्रजेश कुमार मालवीय

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या.......9252................./**जे0, पटना, दिनांक**...31.12.19

प्रतिलिपि: 1. निबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय पटना को उनके पत्रांक 90067, दिनांक 26.11.2019 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को ई मेल करने हेतु प्रेषित।

31/12/19

(ब्रजेश कुमार मालवीय)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

31/12/19

E:\Archana\suman sir\Not.docx